न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी
पीठासीन अधिकारीः—उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
वादपत्र अन्तर्गत धाराः—136 एलआरएक्ट
प्रकरण संख्याः—544 / 2017

1. नूरअहमद उर्फ नूर मोहम्मद पुत्र नादर खां जाति मुसलमान निवासी ढ़ाणी लालखां तहसील नोहर।
2. शामूदीन पुत्र नादर खां जाति मुसलमान निवासी ढ़ाणी लालखां तहसील नोहर।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी।

—अप्रार्थी

उपस्थितः—श्री जयनारायण शर्मा अधिवक्ता प्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक :— 21.12.18

प्रार्थीगण नूरअहमद उर्फ नूर मोहम्मद आदि ने अप्रार्थी के विरूद्व यह दावा बाबत 136 एलआरएक्ट के तहत इस न्यायालय में पेश किया कि चक नं. 22 केएनएन खाता संख्या 20 / 19 जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 74 मुश्तरका खाता में प्रार्थी संख्या 1 का नाम नूरअहमद उर्फ नूर मोहम्मद की जगह नूरअहमद शहवन से दर्ज हो गया है। प्रार्थी संख्या 1 का सही व वास्तविक नाम नूरअहमद उर्फ नूर मोहम्मद है मगर रिकार्ड में गलती से नूरअहमद दर्ज हो गया है तथा प्रार्थी संख्या 2 का नाम शामुदीन की जगह श्यामूदीन शहवन से दर्ज हो गया है। प्रार्थी संख्या 2 का सही व वास्तविक नाम शामुदीन है मगर राजस्व रिकार्ड में गलती से श्यामदीन दर्ज हो गया है। नकल जमाबन्दी पेश है।

प्रार्थी संख्या 1 के कागजात,राशनकार्ड,वोटर लिस्ट आदि में नूर मोहम्मद दर्ज है जबकि उक्त भूमि में शहवन से नूरअहमद उर्फ नूरमोहम्मद की जगह नूरअहमद दर्ज हो गया है व प्रार्थी संख्या 2 के पढ़ाई के कागजात व राशन कार्ड ,वोटरलिस्ट आदि में शामुदीन दर्ज है जबकि उक्त भूमि में शहवन से शामुदीन की जगह श्यामूदीन दर्ज हो गया है जो काबिले दुरूस्ती के है। प्रार्थना—पत्र के साथ प्रार्थीगण के अन्य कागजात संलग्न है जिनमें प्रार्थीगण के सही नाम दर्ज है। प्रार्थना—पत्र दायर से 10 अर्सा पूर्व प्रार्थीगण ने लोन लेने हेतु अपने कागजात की नकल प्राप्त की तो पता चला कि शहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी संख्या 1 का नाम नूरअहमद उर्फ नूर मोहम्मद की जगह नूरअहमद दर्ज हो गया है व प्रार्थी संख्या 2 का नाम शामुदीन की जगह श्यामूदीन दर्ज हो गया है जबकि प्रार्थी संख्या 1 का सही नाम नूरअहमद उर्फ नूर मोहम्मद व प्रार्थी संख्या 2 का सही नाम शामूदीन है। उक्त गलती राजस्व विभाग द्वारा शहवन से हो गई है जिसे प्रार्थीगण दुरूस्त करवाने के कानूनन हकदार है। तस्दीक ग्राम पंचायत देईदास व अन्य कागजात संलग्न प्रार्थना—पत्र है।

उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थना—पत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद प्रार्थना—पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। जवाब स्टेट 3.12.2018 को प्राप्त हुआ जो शामिल मिसल किया गया। वकील प्रार्थी ने जवाब स्टेट का हवाला देते हुवे कथन किया कि उनके द्वारा प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के नाम के आधारभूत कागजात यथा सरपंच ग्राम पंचायत देईदास से जारी नाम का प्रमाण—पत्र,भारत निर्वाचन का मतदाता पहचान पत्र नूर मोहम्मद,परिवार राशन कार्ड, विद्युत बिल, पेन्शन प्रपत्र की चित्रप्रति,अंक तालिका,नकल जमाबन्दी, इसी प्रकार प्रार्थी संख्या 2 शामूदीन की सरपंच ग्राम पंचायत देईदास से नाम के सम्बन्ध में जारी तस्दीक,भारत का निर्वाचन से जारी मतदाता पहचान पत्र,परिवार राशन कार्ड,भामाशाह कार्ड,अंक तालिका,बैंक पास बुक,मूल निवास प्रमाण—पत्र शामूदीन,जाति प्रमाण—पत्र शामूदीन की फोटो प्रतियां पेश की है तथा सरपंच ग्राम पंचायत देईदास से जारी

सहायक कलक्टर टिब्बी

Scanned by CamScanner

वारिसनामा भादर खां पुत्र सरवर खां की चित्रप्रति पेश की है। उपरोक्त दस्तावेजात के आधार पर नाम नाम का संशोधन करवाना चाहा है।

वकील प्रार्थीगण प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में शहवन से दर्ज हुवे है जिन्हे प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना–पत्र स्वीकृत करने का निवेदन किया है।

बहस सुनी गई। दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। राजस्व रिकार्ड में नूरअहमद उर्फ नूर मोहम्मद पुत्र नादर खां जाति मुसलमान निवासी ढ़ाणी लालखां तहसील नोहर अपने नाम को दुरूस्त करवाने के तथ्यों को साबित करने में असफल रहा है इसलिए इनका नाम दुरूस्ती के काबिल नहीं है,इनकी हद तक नाम दरूस्ती प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है तथा शामूदीन पुत्र नादर खां जाति मुसलमान निवासी ढ़ाणी लालखां तहसील नोहर अपने नाम को दुरूस्त करवाने के तथ्यों को साबित करने में सफल रहा है इसलिए इनका नाम काबिल दुरूस्ती के होने के कारण इनकी हद तक नाम दरूस्ती प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी शामूदीन की हद तक स्वीकार किया जाता है कि श्यामूदीन के स्थान पर शामूदीन पढ़ा जावे की दुरूस्ती की जाती है। राजस्व अभिलेख में श्यामूदीन के स्थान पर शामूदीन पुत्र नादर खां दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त आराज़ी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक.....21.12.18.....को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी

Scanned by CamScanner